



2026:AHC:67357

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. संख्या- 12914 वर्ष 2026

घनश्याम राजपूत आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: फखरुज्जमां

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 75

माननीय न्यायमूर्ति श्री समित गोपाल

1. सूची संशोधित।
2. श्री हर्ष प्रताप सिंह, अधिवक्ता सुश्री फलक अधिवक्ता और श्री मो. उबैद खान विपक्षी पक्ष संख्या-2 और 3 की ओर से पेश होते हैं और आज अदालत में वकालतनामा के साथ जवाबी हलफनामा दायर करते हैं। इसे अभिलेखों पर लिया जाता है।
3. आवेदक के अधिवक्ता श्री फखरुज्जमैन, श्री हर्ष प्रताप सिंह, अधिवक्ता ने सुश्री फलक अधिवक्ता और श्री मो. उबैद खान, विपक्षी पक्ष संख्या-2 और 3 के अधिवक्ता, और श्री बड़े लाल बिंद, राज्य के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत यह आवेदन आवेदक घनश्याम राजपूत द्वारा दायर किया गया है, जिसमें सत्र मामले संख्या-704 वर्ष 2025 की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांक 23.12.2024 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा धारा 74, 352, 351(3) बी.एन.एस. और धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम और 3(2)वीए एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना-बडगांव, झांसी की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो



अधिनियम, झांसी की अदालत में लंबित है और प्रस्तुत आवेदन के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना के साथ।

5. यह याचिका इस आधार पर दी जा रही है कि पहले सूचनाकर्ता ने इस मामले में एस.एस.पी./आई.ओ. के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है कि उसके द्वारा कुछ भ्रम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस प्रकार वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त हलफनामे में भी यह उल्लेख किया गया है कि जाति से संबंधित किसी भी शब्द का उपयोग जातिगत अपमान के लिए नहीं किया गया था और यहां तक कि पीड़ित भी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

6. प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 के अधिवक्ता ने इस पर विवाद नहीं किया।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

8. तत्स्य विपरीत, राज्य के अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता की प्रस्तुति का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत मामले में, मामले का अभियोजन धारा 74, 352, 351(3) बी.एन.एस. और धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम और 3(2)वीए एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत है। पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही को समझौते और समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, मामला पक्षों के बीच किसी समझौते या समझौते का नहीं है, बल्कि एस.एस.पी./आई.ओ. के समक्ष पहले सूचनाकर्ता द्वारा एक हलफनामा दाखिल करना है, जिस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एसी), झांसी द्वारा पारित दिनांक 13.05.2025 के आदेश द्वारा तलब किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रस्तुत याचिका खारिज की जाए।

9. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में पीड़ित नाबालिग है। प्रस्तुत याचिका को इस आधार पर दबाया जा रहा है कि पहले सूचनाकर्ता ने एस.एस.पी./आई.ओ. को एक हलफनामा दिया है कि वह इस मामले



को आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि मामला उसके द्वारा कुछ भ्रम के तहत शुरू किया गया था। यहां तक कि पीड़िता भी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भले ही दलीलों पर विचार किया जाए, पक्षगण ने समझौता कर लिया है, इसे नहीं देखा जा सकता है क्योंकि किशोरों की निजता का अधिकार [स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सी) संख्या-3 वर्ष 2023] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला है। इसके अलावा, रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 07.11.2024 को फैसला सुनाया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध जघन्य अपराध है और निजी प्रकृति का नहीं है और इसलिए इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने संजीव कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 03 अन्य के मामले में तटस्थ उद्धरण संख्या- 2024: एचसी:56128 ने धारा 482 9169 वर्ष 2024 के तहत आवेदन में यह भी कहा है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

10. मामले के तथ्यों को देखते हुए, आवेदक की ओर से सीमित तर्क और इन रे: किशोरों की निजता का अधिकार (उपरोक्त), रामजी लाल बैरवा और अन्य (उपरोक्त) और संजीव कुमार (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, क्योंकि प्रस्तुत मामले की कार्यवाही पॉक्सो अधिनियम के तहत भी है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

11. प्रस्तुत याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और तदनुसार, **खारिज** की जाती है।

12. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, खंडित हो जाता है।

13. कार्यालय आज से दो सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय को इस आदेश की सूचना देगा।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

मार्च 31, 2026

एम. आरिफ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!